अनुवान–दूलाराम बनाम रामजीलाल
मुकदमा संख्या–01/110/2015
निर्णय दिनांक–13.01.2026

न्यायालय
खण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

द संख्या :–01/110/2015 ऑनलाईन नम्बर–2015/00392 प्रवेश तिथि–27.04.2015

1. दूलाराम पत्र भौरेलाल जाति माली निवारी सीतापुरा तहसील टहला जिला अलवर मृतक।
   1/1. लक्ष्मा देवी पत्नी स्व0 दुलाराम जाति माली निवासी सीतापुरा तहसील टहला जिला अलवर।
2. मन्नाराम पुत्र भौरेलाल जाति माली निवारी सीतापुरा तहसील टहला।
3. दामोदर पुत्र भौरेलाल जाति माली निवारी सीतापुरा तहसील टहला।
4. चेतन नवीरा भौरेलाल जाति माली निवारी सीतापुरा तहसील टहला।
5. कालूराम पुत्र जयराम जाति माली निवारी सीतापुरा तहसील टहला।
6. बद्री प्रसाद पुत्र जयराम जाति माली निवासी सीतापुरा तहसील टहला मृतक।
   6/1. रेवडी पत्नी स्व. बद्री प्रसाद।
   6/2. गजानन्द पुत्र स्व0 बद्री प्रसाद।
   6/3. विनोद कुमार पुत्र स्व0 बद्री प्रसाद।
   6/4. हनुमान सहाय पुत्र स्व0 बद्री प्रसाद।
   6/5. छोटी पुत्र स्व0 बद्री प्रसाद।
   6/6. लाला देवी पुत्री स्व0 बद्री प्रसाद जातियान माली निवासीयान ग्राम सीतापुरा तहसील टहला जिला अलवर।
7. तेजाराम पुत्र जयराम जाति माली निवासी ग्राम सीतारपुरा तहसील टहला।
8. नन्दकिशोर पुत्र जयराम जाति माली निवासी ग्राम सीतारपुरा तहसील टहला।
9. कजोड पुत्र कन्हैया लाल जाति माली निवासी सीतापुरा तहसील टहला।
10. लक्ष्मण पुत्र कन्हैया लाल जाति माली निवासी सीतापुरा तहसील टहला।

.........वादीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र भगवान सहाय जाति मीना निवासी टोडी का बास तहसील टहला।
2. चौथमल पुत्र भगवान सहाय जाति मीना निवासी टोडी का बास तहसील टहला।
3. रामलाल पुत्र गोविन्दा जाति मीना निवासी टोडी का बास तहसील टहला मृतक।
   3/1. रामप्यारी पत्नी स्व. श्री रामपाल
   3/2. सुखराम पुत्र स्व. श्री रामपाल
   3/3. ग्यारसी लाल पुत्र स्व0 श्री रामपाल
   3/4. रमेश पुत्र स्व0 श्री रामपाल मृतक
   3/4/1. सोना देवी पत्नी स्व0 श्री रमेश चन्द।
   3/4/2. आशीष पुत्र श्री रमेश चन्द।
   3/4/3. पूजा पुत्री श्री रमेश चन्द।
   3/4/4. आरती पुत्री स्व0 रमेश चन्द।
   3/4/5. राधा पुत्री स्व0 रमेशचन्द नाबालिग बसरपरस्त माता खुद सोना देवी पत्नी स्व0 श्री रमेश चन्द जाति मीना निवासीयान ग्राम टोडी का बास तहसील टहला जिला अलवर।
4. तहसीलदार राजगढ बतौर लैण्ड होल्डर

......प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक्क मय दुरूस्ती इन्द्राज
उपस्थितः–श्री किशनलाल वर्मा एड0–वादी
श्री सुरेन्द्र कुमार माथूर एड.–प्रतिवादी।

–:निर्णयः–

दिनांकः–13/01/2026

1. आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा एक दावा इस्तकरारहक्क अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा संख्या 122 चाह वाके ग्राम टोडी का बास तहसील टहला जिला अलवर में अवस्थित है। जिसके साबिक खसरा संख्या 17/31 वाके ग्राम टोडी का बास तहसील टहला है। उक्त

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

ाह की विवादित हाल आराजी खसरा संख्या 122 वादीगण की तन्हा खातेदारी वो कब्जा काश्त का चाह ।। जिस पर वादीगण अपने पिता के समय से ही काबिज होकर अपनी आराजीयात को आबपासी/सिचाई करते चले आ रहे है। तथा जिस चाह पर वादीगण ने सिचाई हेतु इंजन भी लगाया हुआ है जिस चाह से प्रतिवादीगण का कोई भी सम्बन्ध नही है। ना ही प्रतिवादीगण का कब्जा ही है। ना ही प्रतिवादीगण ने उक्त चाह से कभी कोई आराजीयात ही सिंचित की गई है। विवादित चाह हाल खसरा संख्या 122 वादीगण की खातेदारी वो कब्जे काश्त की भूमि के गत खसरा संख्या 17/31 रकबा 2 बिस्वा में वादीगण के पिता भौरेलाल, जयराम वो कन्हैयालाल पुत्रान गोविन्द माली द्वारा अर्सा करीब 30 वर्ष पूर्व तन्हा अपनी लागत वो मेहनत से निर्मित किया गया था। जिस चाह में उनके द्वारा अपनी आराजीयात को सिंचित करने एक इंजन लगाया हुआ है। भौरेलाल, जयराम व कन्हैयालाल व उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण पर काबिज होकर अपने उपयोग—उपभोग में लेते चले आ रहे है। अन्त में चाह खसरा संख्या 122 रकबा 2 एयर वाके ग्राम टोडी का बास तहसील टहला वादीगण की खातेदारी का चाह है। जो चाह गत खसरा संख्या 17/31 रकबा 2 बिस्वा से बना हुआ है। जिसे दुरूस्त फरमाने का निवेदन किया गया। और प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये व उनके द्वारा जवाब पेश किया जो शामिल मिशल है जिसका विवरण निम्नानुसार है—

यह है कि चाह खसरा संख्या 122 पर कभी कोई वादीगण का तन्हा कब्जा नही रहा है। वादीगण ने चाह पर इंजन ही लगा रखा है। उक्त चाह में 1/3 हिस्सा प्रतिवादीग संख्या 1, 2 व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 का हिस्सा 1/3 हिस्सा है। वादीगण का उक्त चाह से कोई सम्बन्ध सरोकार नही रहा है। उक्त चाह हम प्रतिवादीगण की लगन मेहनत से बनाया गया है। बन्दोबस्त विभाग सम्वत 2046 द्वारा मौके व रिकार्ड के अनुसार सही दर्ज किया है। अन्त में दावा वादी खारीज करने का निवेदन किया गया।

3. प्रकरण में वादी की ओर से दावे के समर्थन में निम्न दस्तावेजात पेश किये गये है जो इस प्रकार है—

1. ***Pw-1** नन्दकिशोर पुत्र श्री जयराम जाति माली निवासी सीतापुरा तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला का शपथ पत्र पेश जो शामिल मिशल है। जिसके बयान लेखबद्व किये गये जो शामिल मिशल है।*

—जमाबंदी सम्वत् 2059—प्रदर्श—1

— जमाबंदी सम्वत् 2059 प्रदर्श—2

—नक्शा ट्रेस प्रदर्श—3

— मिशल वन्दोबस्त प्रदर्श—4

—मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2046 प्रदर्श—5

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला- अलवर
सत्यमेव जयते

4. प्रकरण में वकील वादी की बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस वादी की ओर दावे के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा संख्या 122 चाह वाके ग्राम टोडी का बास तहसील टहला जिला अलवर में अवस्थित है। जिसके साविक खसरा संख्या 17/31 वाके ग्राम टोडी का बास तहसील टहला है। उक्त चाह की विवादित हाल आराजी खसरा संख्या 122 वादीगण की तन्हा खातेदारी वो कब्जा काश्त का चाह है। जिस पर वादीगण अपने पिता के समय से ही काबिज होकर अपनी आराजीयात को

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला—अलवर

आबपाशी/सिंचाई करते चले आ रहे है। तथा जिस चाह पर वादीगण ने आबपाशी हेतु इंजन भी लगाया हुआ है जिस चाह से प्रतिवादीगण का कोई भी सम्बन्ध नही है। ना ही प्रतिवादीगण का कब्जा ही है। ना ही प्रतिवादीगण ने उक्त चाह से कभी कोई आराजीयात ही सिंचित की गई है। विवादित चाह हाल खसरा संख्या 122 वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि के गत खसरा संख्या 17/31 रकबा 2 बिस्वा मे वादीगण के पिता भौरेलाल, जगराम व कन्हैयालाल पुत्रान गोविन्द माली द्वारा अपनी करीब 30 वर्ष पूर्व तन्हा अपनी लागत व मेहनत से निर्मित किया गया था। जिस चाह में उनके द्वारा अपनी आराजीयात को सिंचित करने एक इंजन लगाया हुआ है। भौरेलाल, जगराम व कन्हैयालाल की उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण पर काबिज होकर अपने उपयोग–उपभोग में लेते चले आ रहे है। अन्त में चाह खसरा संख्या 122 रकबा 2 एयर वाके ग्राम टोडी का बास तहसील टहला वादीगण की खातेदारी का चाह है। जो चाह गत खसरा संख्या 17/31 रकबा 2 बिस्वा से बना हुआ है। जिसे दुरूस्त फरमाने का निवेदन किया गया। और प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

5. इसी प्रकार प्रकरण मे गहन विश्लेषण से पूर्व साबिक रिकार्ड सम्वत् 2046 से पूर्व व पश्चात् की दर्ज प्रविष्टि का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण मे वकील प्रतिवादी की बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस प्रतिवादी की ओर दावे के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा संख्या 122 चाह वाके ग्राम टोडी का बास तहसील टहला जिला अलवर में अवस्थित है। यह है कि चाह खसरा संख्या 122 पर कभी कोई वादीगण का तन्हा कब्जा नही रहा है। वादीगण ने चाह पर इंजन ही लगा रखा है। उक्त चाह में 1/3 हिस्सा प्रतिवादीग संख्या 1, 2 व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 का हिस्सा 1/3 हिस्सा है। वादीगण का उक्त चाह से कोई सम्बन्ध सरोकार नही रहा है। उक्त चाह हम प्रतिवादीगण की लगन मेहनत से बनाया गया है। बन्दोबस्त विभाग सम्वत 2046 द्वारा मौके व रिकार्ड के अनुसार सही दर्ज किया है। अन्त में दावा वादी खारीज करने का निवेदन किया गया।

7. बहस वकुलाय व पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजो का गहन अवलोकन व मनन किया गया। अवलोकन पर पाया गया कि मुताबिक दस्तावेजो के आधार पर चाह के आराजी खसरा संख्या 17/31 रकबा 2 बिस्वा से बना हुआ चाह है। तथा मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046 के बन्दोबस्त विभाग द्वारा चाह गत खसरा संख्या 16 से बना होना दर्ज करते हुये प्रतिवादीगण के नाम गलत खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। जो गलत इन्द्राज काबिल दुरूस्त किया जाकर चाह खसरा संख्या 122 वादीगण के नाम दर्ज किये जाने योग्य है। इसलिए दावा वादी डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश है कि

दावा वादी बाबत् इन्द्राज मय दुरूस्ती आराजी खसरा संख्या 122/0.02 है0 वाके ग्राम टोडी का बास तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर को स्वीकार किया जाकर दावा वादी डिक्री किया जाता है। साथ ही आदेश है कि आराजी खसरा संख्या 122/0.02 चाह वाके ग्राम टोडी का बास तहसील टहला जिला अलवर से प्रतिवादीगण के नाम गलत इन्द्राज को हजफ/कलमजन किया जाकर वादीगण के नाम चाह की खातेदारी का इन्द्राज दर्ज किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे।

आज यह निर्णय दिनांक 13/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला- अलवर
सत्यमेव जयते

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

अनुवान–दूलाराम बनाम रामजीलाल
मुकदमा संख्या–01 / 110 / 2015
निर्णय दिनांक–13.01.2026

न्यायालय

खण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

संख्या :–01 / 110 / 2015 ऑनलाईन नम्बर–2015 / 00392 प्रवेश तिथि–27.04.2015

1. दूलाराम पुत्र भौरेलाल जाति माली निवासी सीतापुरा तहसील टहला जिला अलवर मृतक।
   1 / 1. लक्ष्मा देवी पत्नी स्व0 दुलाराम जाति माली निवासी सीतापुरा तहसील टहला जिला अलवर।
2. मन्नाराम पुत्र भौरेलाल जाति माली निवासी सीतापुरा तहसील टहला।
3. दामोदर पुत्र भौरेलाल जाति माली निवासी सीतापुरा तहसील टहला।
4. चेतन नवीरा भौरेलाल जाति माली निवासी सीतापुरा तहसील टहला।
5. कालूराम पुत्र जयराम जाति माली निवासी सीतापुरा तहसील टहला।
6. बद्री प्रसाद पुत्र जयराम जाति माली निवासी सीतापुरा तहसील टहला मृतक।
   6 / 1. रेवडी पत्नी स्व. बद्री प्रसाद।
   6 / 2. गजानन्द पुत्र स्व0 बद्री प्रसाद।
   6 / 3. विनोद कुमार पुत्र स्व0 बद्री प्रसाद।
   6 / 4. हनुमान सहाय पुत्र स्व0 बद्री प्रसाद।
   6 / 5. छोटी पुत्र स्व0 बद्री प्रसाद।
   6 / 6. लाला देवी पुत्री स्व0 बद्री प्रसाद जातियान माली निवासीयान ग्राम सीतापुरा तहसील टहला जिला अलवर।
7. तेजाराम पुत्र जयराम जाति माली निवासी ग्राम सीतारपुरा तहसील टहला।
8. नन्दकिशोर पुत्र जयराम जाति माली निवासी ग्राम सीतारपुरा तहसील टहला।
9. कजोड पुत्र कन्हैया लाल जाति माली निवासी सीतापुरा तहसील टहला।
10. लक्ष्मण पुत्र कन्हैया लाल जाति माली निवासी सीतापुरा तहसील टहला।

.........वादीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र भगवान सहाय जाति मीना निवासी टोडी का बास तहसील टहला।
2. चौथमल पुत्र भगवान सहाय जाति मीना निवासी टोडी का बास तहसील टहला।
3. रामलाल पुत्र गोविन्दा जाति मीना निवासी टोडी का बास तहसील टहला मृतक।
   3 / 1. रामप्यारी पत्नी स्व. श्री रामपाल
   3 / 2. सुखराम पुत्र स्व. श्री रामपाल
   3 / 3. ग्यारसी लाल पुत्र स्व0 श्री रामपाल
   3 / 4. रमेश पुत्र स्व0 श्री रामपाल मृतक
   3 / 4 / 1. सोना देवी पत्नी स्व0 श्री रमेश चन्द।
   3 / 4 / 2. आशीष पुत्र श्री रमेश चन्द।
   3 / 4 / 3. पूजा पुत्री श्री रमेश चन्द।
   3 / 4 / 4. आरती पुत्री स्व0 रमेश चन्द।
   3 / 4 / 5. राधा पुत्री स्व0 रमेशचन्द नाबालिग बसरपरस्त माता खुद सोना देवी पत्नी स्व0 श्री रमेश चन्द जाति मीना निवासीयान ग्राम टोडी का बास तहसील टहला जिला अलवर।
4. तहसीलदार राजगढ बतौर लैण्ड होल्डर

......प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक्क मय दुरूस्ती इन्द्राज
उपस्थितः–श्री किशनलाल वर्मा एड0–वादी
श्री सुरेन्द्र कुमार माथूर एड.–प्रतिवादी।
दिनांकः– 13.01.2026

–:पर्चा डिक्री:–

दावा वादी बाबत् इन्द्राज मय दुरूस्ती आराजी खसरा संख्या 122 / 0.02 है0 वाके ग्राम टोडी का बास तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर को स्वीकार किया जाकर दावा वादी डिक्री किया जाता है। साथ ही आदेश है कि आराजी खसरा संख्या 122 / 0.02 चाह वाके ग्राम टोडी का बास तहसील टहला जिला अलवर से प्रतिवादीगण के नाम गलत इन्द्राज को हजफ / कलमजन किया जाकर वादीगण के नाम चाह की खातेदारी का इन्द्राज दर्ज किया जावे।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।
पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.01.2026 को तैयार की गई।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर